

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

-:संशोधन आदेश:-

विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/ मा/संस्था/ बी-1,2/45001-45005/ प्रधानाचार्य-प्रधानाध्यापक/वेतन व्यवस्था/2022/367 दिनांक 25.08.2022 एवं आदेश क्रमांक 318 दिनांक 17.08.2022 द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा के प्रधानाचार्य-उमावि के संबंध में जारी वेतन आहरण आदेश में कार्मिक के नाम के सामने अंकित कॉलम (कॉलम संख्या-4 के अनुसार) में उल्लेखितानुसार एतद् द्वारा आंशिक संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी (श्री/श्रीमती/सुश्री)	वेतन अवधि	संशोधन
1	2.	3	4
1	महेश कुमार सैनी प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) चाँदगोठी, चूरु।	जुलाई 2022 से आगामी आदेशों तक	वेतन व्यवस्था आदेश दिनांक 25.08.2022 में क्र.सं. 06 पर अंकित कार्मिक के संबंध में कॉलम संख्या 2 में कार्मिक का नाम मुकेश कुमार सैनी, प्रधानाध्यापक के स्थान पर महेश कुमार सैनी, प्रधानाचार्य पढ़ा जावे।
2	पूरा राम सेन प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चाँधन, जैसलमेर	जुलाई 2022 से आगामी आदेशों तक	वेतन व्यवस्था विभागीय आदेश दिनांक 17.08.2022 में क्र.सं. 08 पर अंकित कार्मिक के संबंध में कॉलम संख्या 2 में पदस्थापन स्थान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मोहनगढ़ के स्थान पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चाँधन, जैसलमेर पढ़ा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।

सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1, 2/प्रधाना.व प्र.अ./वेतनव्यवस्था संशोधन/2022/14 दिनांक 30-08-2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,।
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड हेतु।
- 3 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ।
- 5 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बंधित कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 7 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर